FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अ[illegible] अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• लक्ष्मण पुत्र स्व. रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज वगै0।

–वादी

बनाम

• रामरतन पुत्र रूघनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।

–प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 88,188,209 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 14 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 101.....

वकील वादी:– योगेश शर्मा **वकील प्रतिवादीगण.................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.04.2024	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा सिंह ने अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये रजि. ए.डी. सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03.05.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अरांई	
03/5/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगणों के रजि. डाक के नोटिस पेश किए जो आ. कि। प्रतिवादी 01,2,3,05,06,10,11 उप./ वास्ते जवाब प्रतिवादीगण पत्रावली दिना. 30/5/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	→ 2 कमला तीता → 3 गिरधारी → 10 रघु → 11 प्रहलाद → 6 रामरतन → 1 (5) नाराज
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर [illegible]। पत्रावली [illegible] दिनांक 07/6/24 को पेश हो।	

26/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते बहस एवं पैरोकार पेशकार हेतु दिनांक 12.11.25 को पेश हो। WD
12.11.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. है। वास्ते बहस एवं पैरोकार पक्षकार पत्रावली दिनांक 19/11/25 को पेश हो WD उपखण्ड अधिकारी
19/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. है। बहस एवं पैरोकार पक्षकार पत्रावली दिनांक 26/11/25 WD उपखण्ड अधिकारी अरांई
26/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. है। बहस एवं पैरोकार पक्षकार पत्रावली दिनांक 3/12/25 को WD उपखण्ड अधिकारी अरांई
3/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. है। बहस एवं पैरोकार पक्षकार पत्रावली दिनांक 10/12/25 को पेश हो WD उपखण्ड अधिकारी अरांई
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. है। पैरोकार जवाब प्राप्त/वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 17/12/25 पेश हो WD उपखण्ड अधिकारी अरांई
17/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 2/1/26 को पेश हो। WD
2/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा [illegible] किया गया [illegible] पूर्व में [illegible] मय शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली पृथक मुख्य [illegible] WD

अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 14/2024 उनवान लक्ष्मण वगैरह बनाम रामरतन वगैरह

1. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. रामलाल पुत्र स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. लादी पुत्री स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. सुरता पुत्री स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. रामरतन पुत्र श्री रूघनाथ, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. कमला पुत्री श्री रूघनाथ, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. सीता पुत्री श्री रूघनाथ, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. नन्दू पत्नि स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरां जिला अजमेर, राजस्थान
5. नाराज पुत्री स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्त, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान नि
6. प्रहलाद पुत्र स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. गुमान पुत्री जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. मनोहर पुत्री स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. रामकिशन पुत्र स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
10. गिरधारी पुत्र श्री रामरतन, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. राजूलाल चौधरी पुत्र सत्यनारायण चौधरी, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
12. उप पंजीयक महोदय, अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

•अन्तिम डिक्री वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का. अधि. 1955•

मुकदमा नम्बर 8/2025 उनवान कालू बनाम भंवरी देवी

उपस्थित वकील वादी

निर्णय दिनांक 21/01/2026

• आदेश •

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद, दस्तावेजात, वकील वादी की बहस के उपरान्त तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 13 के विरूद्ध की गई दिनांक 7.6.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही के क्रम में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का.अधि. 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा, तहसील अरांई में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1786 कुल किता 01कुल रकबा 10.5866 हैक्टेयर का नामान्तकरण संख्या 2687 का दिनांक 13.12.2021 से जरिये विरासती नामान्तकरण से प्राप्त भूमि में निहित हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

असप्त आज दिनांक 21.1.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

अराई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर 14/2024 उनवान लक्ष्मण वगैरह बनाम रामरतन वगैरह

1. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. रामलाल पुत्र स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. लादी पुत्री स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. सुरता पुत्री स्व. श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. रामरतन पुत्र श्री रूघनाथ, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. कमला पुत्री श्री रूघनाथ, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. सीता पुत्री श्री रूघनाथ, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. नन्दू पत्नि स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरां जिला अजमेर, राजस्थान
5. नाराज पुत्री स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्त, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. प्रहलाद पुत्र स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. गुमान पुत्री जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. मनोहर पुत्री स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. रामकिशन पुत्र स्व. जगदेव, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
10. गिरधारी पुत्र श्री रामरतन, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. राजूलाल चौधरी पुत्र सत्यनारायण चौधरी, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
12. उप पंजीयक महोदय, अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

निर्णय दिनांक 21/1/2026

उपस्थित : वकील वादी श्री योगेश शर्मा

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री योगश शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर जाहिर किया कि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 एक ही पूर्वाधिकारी श्री रामनाथ वल्द हीरा के विधिक वारिसान है वादीगण के दादा स्व. रामनाथ वल्द हीरा का पारिवारिक सजरा वाद पत्र के पेरा संख्या 1 के अनुसार है । हरलाल द्वारा अपना हिस्सा राजू चौधरी पुत्र सत्यनारायण को गिफट कर दिया है। तथा हरिबंश द्वारा अपना हिस्सा गिरधारी पुत्र रामरतन को गिफ्ट कर दिया है। वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 11 की सहखातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम लाम्बा, पटवार हल्का लाम्बा, भू.अ.नि.क्षेत्र लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान में निम्नानुसार स्थित है :–

खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
288/261	1786	10.5866

कुल खसरा–01 कुल क्षेत्रफल 10.5866 हैक्टेयर

उक्त वर्णित कृषि आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 5/16 अविभाजित हिस्सा निहित है।
पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि आराजी है. ग्राम लाम्बा स्थित कृषि आराजी भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 11 के पूर्वाधिकारी रामनाथ वल्द हीरा की हकखातेदारी कृषि भूमि थी, जिनके देहावसान पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि पर जरिये विरासती नामान्तरण संख्या 1889 दिनांक 10.03.2016 को रामनाथ पुत्र हीरा के स्थान पर हरलाल, जयदेव, हरिवक्ष, रामरतन पि. रूघनाथ, कमला, सीता पुत्रियां रूघनाथ, रामकरण पि. रामनाथ का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया, जिसके अनुसार रामनाथ वल्द हीरा की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वाधिकारी रूघनाथ एवं वादीगण के पूर्वाधिकारी रामकरण का बहिस्सा बराबर बराबर हिस्सा निहित होकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुआ। जिस पर वादीगण के पूर्वाधिकारी अपने निहित हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे।वादीगण के पूर्वाधिकारी रामकरण पुत्र रामनाथ का देहावसान होने के पश्चात उनके स्थान पर लक्ष्मण, रामलाल पि. रामकरण, लादी, सुरता पुत्रियां रामकरण कौम जाट का नाम जरिये विरासती नामान्तरण संख्या 2687 दिनाक 13.12.2021 को दर्ज किया गया, जिसके पश्चात् वादीगण अपने निहित हिस्से अनुसार कृषि भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी भूमि पर वादी संख्या 1 व 2 ने के.सी.सी. लेने हेतु अक्टूम्बर 2023 मे राजस्व रिकार्ड की सत्यापित प्रति प्राप्त की तो, वादीगण को ज्ञात हुआ कि वर्तमान सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में वादीगण का दिनांक 13.12. 2021 को विरासती नामान्तरण दर्ज होने के बावजूद भी वर्तमान
जमाबन्दी में नाम इन्द्राज नहीं है। जिसकी संबंधित विभाग से वादीगण ने जानकारी प्राप्त की तो उन्हें पता चला कि उनका निहित हिस्सा भी वर्तमान जमाबन्दी में रूघनाथ जी के वारिसान् के नाम इन्द्राज हो गया है।उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 वादीगण की हिस्सेशुदा कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है. अपने अविधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये व वादीगण के हिस्सेशुदा भूमि को खुर्द बुर्द करने के लिये हरलाल पुत्र रूघनाथ ने अपने नाम अविधिक रूप से दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा अपने पोते राजू चौधरी पुत्र सत्यनारायण चौधरी को जरिये उपहार प्रलेख प्रदत्त कर दिया है और हरिबक्ष पुत्र रूघनाथ जो कि नाऔलाद है ने भी अपने नाम अविधिक रूप से दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को रामरतन के पुत्र गिरधारी को उपहार मे प्रदत्त कर दिया है। जिनका नाम भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 गलत तरीके से अपने नाम दर्ज भूमि को अन्यत्र उपहार, बेचान व अन्तरण कर खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को उनके नाम अविधिक रूप से दर्ज हस्से का बेचान, उपहार, हस्तान्तरण करने का कतई अधिकार नही है। उक्त पैरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम लाम्बा स्थित कृषि भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/56–1/56 हिस्सा अर्न्तनिहित है, जिसका वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज नही हुआ है। इसी तरह उक्त कृषि आराजी में वास्तविक रूप से विरासती नामान्तरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/84–1/84 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 4 लगायत 9 का प्रत्येक का 1/504–1/504 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जाना था, जो गलत अंकित हो गया है। इसी गलत नाम अंकन का नाजायज फायदा उठाकर हरलाल व हरिबक्ष ने अपने नाम गलत दर्ज हिस्सा भूमि 1/42–1/42 का उपहार में अपने ही परिवार के सदस्यों प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को प्रदत्त कर दिया है, जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियत में वर्तमान जमाबन्दी में सहवन से वादीगण का नाम इन्द्राज नहीं हुआ है जबकि विरासती नामान्तरण उनके नाम दर्ज है और वादीगण का भूमि में अविभाजित हिस्सा निहित है और वादीगण अपने निहित हिस्से में काबिज काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है।प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 मिलीभगत कर वादीगण की पुश्तैनी विरासत से प्राप्त सम्पति कृषि आराजी भूमि में गलत नामान्तरण का नाजायज फायदा उठाकर भूमि को विक्रय, उपहार या अन्य रूप में अन्तरण कर कृषि आराजी से बेदखल करने पर आमदा है तथा उपरोक्त कृषि आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उद्दत है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 से वादीगण को अब उनके हक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अविधिक इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर भूमि को अन्तरण व खुर्द बुर्द करने हेतु भी उद्दत हो रहे है। और वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को कोई हक अधिकार नहीं है।
वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 से निवेदन किया कि वे वादीगण के हक हिस्से की भूमि को वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने मे सहयोग

WD

कार्यवाही करवायें, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने वादीगण को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने वादीगण के निहित हिस्से की भूमि को गलत दर्ज नामान्तरण का नाजायज फायदा उठाकर अन्तरण एवं खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकी दी है इसके लिये वादीगण को बखिलाफ प्रतिवादीगण इस स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हैं कि वे वादीगण के हक हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें एवं वादीगण को किसी भी प्रकार से बेदखल न करे, वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बेचान व अन्तरण न करें । वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पर वादीगण के हक में गलत इन्द्राज के सही होने से प्राप्त भूमि में उनके निहित हिस्से की घोषणात्मक डिक्री पारित करते हुये राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज करवाया जावे।

वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 27.10.2023 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की प्रति प्राप्त की और गलत इन्द्राज होने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 से निवेदन कर, वादीगण को हिस्सा पुनः दर्ज करवाने में सहयोग करने के लिये कहा। जिससे प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने एवं राजस्व रिकार्ड की गलत प्रविष्टि का नाजायज लाभ उठाकर वादीगण के हक अधिकारों के विपरित विरासत से प्राप्त भूमि को अन्तरण व खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकी दी, और वादीगण को उनके निहित हिस्से से बेदखल एवं वंचित करने की धमकी देने से एवं वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करवाने से वाद कारण सतत् जारी है।

वाद को दिनांक 16.4.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 14/2024 पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगणों नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । दिनांक 30.7.2025 को वादी लक्ष्मण पुत्र रामकरण व रामलाल पुत्र रामकरण के बयान लेखबद्ध कराए जाकर तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए । दिनांक 10.12.2025 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसके अनुसार ग्राम लाम्बा की गत जमाबन्दी 2071–74 कि खाता सं. 261 ख. नं. 1786 रकचा 65 बीघा 08 विस्वा में नोखा पत्नी गोपी उर्फ नाथू विश्राम पुत्र गोपी उर्फ नाथू, रामनाथ वल्द हीरा, जगदीश पित्र कल्याण, भोली पत्नी हरकरण, रामरख, भागचन्द, महावीर पि. हरकरण, ओकार दि. राना, श्योजी, सोहनलाल पि. भूरा, उगमा पि. मुकना, सत्यनारायण पि. हरकरण, प्रेम देवी पुत्री हरकरण कोम जाट सा. देह दर्ज था, नामा. सं. 1889 दि. 10.03.2016 को रामनाथ पि. हीरा की विरासत से हरलाल. जगदव, हरिबक्ष, रामरतन पि. रूघनाथ, कमला, सीता पुत्रियां रघुनाथ रामकरण पि. रामनाथ दर्ज हुआ तथा नामा. सं. 2687 दिनांक 13.12.21 रामकरण पि. रामनाथ की विरासत से लक्ष्मण, रामलाल पि. रामकरण, लादी, सुरता पुत्रियां रामकरण जाति जाट का नाम दर्ज हुआ, लेकिन वर्तमान ऑनलाइन जमाबन्दी में उक्त नामा अमल में नहीं आया तथा रामकरण पि रामनाथ के हिस्से को जगदेव, हरलाल, रामरतन, हरियक्ष पि. रुघनाथ के वारिसान के नाम जोड दिया जो कि गलत है। हरिबक्ष पि. रघुनाथ ने अपने हिस्से को नामा. सं. 2366 से गिरधारी पुत्र रामरतन हि. 1/42 को उपहार किया गया, जो कि हिस्सा गलत है। हरलाल पि. रघुनाथ की भूमि उपहार नामा. सं. 2802 से अपने पौत्र राजूलाल चौधर पुत्र सत्यनारायण चौधरी हि. 1/42 का उपहार किया गया जो कि गलत हिस्से का हुआ है। अतः गत जमाबन्दी अनुसार मामा से 1889 दि 10.03. 2016 रामनाथ पि. हीरा हि. 1/7 के स्थान पर हरलाल, जगदेव, हरबक्ष रामरतन पि. रघुनाथ, कमला, सीता पुत्रिया रघुनाथ हि. 1/4 रामकरण पिः रामनाथ हि. 1/14 जाति जाट दर्ज था लेकिन वर्तमान सेग्रीगेशन ऑनलाइन जमाबन्दी में रामकरण पि रघुनाथ की विरासत नामा. सं 2687 लक्ष्मण, रामरतन पि. रामकरण लादी, सुरता पुत्रियां रामकरण का हिस्सा अन्य के जुड़ गया, अत गत जमाबन्दी अनुसार वर्तमान जमाबन्दी खाता से 288 ख0नं0 1786 में लक्ष्मण, रामरतन पि. रामकरण लादी, कमला पुत्रियां रामकरण प्रत्येक का हिस्सा 1/56 दर्ज कर शुद्धि कर दुरूस्त करना उचित होगा तथा वर्तमान जमाबन्दी में खाता 288 ख न 1786 में कमला पुत्री रूघनाथ हि. 1/42 के स्थान पर 1/84 गुमान पुत्री जगदेव हि. 1/252 के स्थान पर हि. 1/504. नन्दु पत्नी जगदेव हि. 1/252 के स्थान पर 1/504 नाराज पुत्री जगदेव हि. 1/252 के स्थान पर 1/504 प्रहलाद पुत्र जगदेव हि. 1/252 के स्थान पर 1/504, मनोहर पुत्री जगदेव हि. 1/252 के स्थान पर 1/504, रामकिशन पि. जगदेव हि 1/252 के स्थान पर 1/504 रामरतन पुत्र रघुनाथ हि. 1/42 के स्थान पर 1/84 गिरधारी पुत्र रामरतन हि. 1/42 के स्थान पर हि 1/84 राजूलाल चौधरी पुत्र सत्यनारायण चौधरी हि. 1/42 के स्थान पर हिस्सा 1/84, सीता पुत्री रूघनाथ हि. 1/42 के स्थान पर हि. 1/84 दर्ज कर गत जमाबन्दी अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा। पत्रावली में बहस सुनी गई । पत्रावली के दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया गया था तथा पेराकार सरकार तहसीलदार अराई के जवाब का अवलोकन किया गया तथा वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई । वादी का वाद **अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का.अधि. 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा, तहसील अराई में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1786 कुल किता 01 कुल रकबा 10.5866 हैक्टेयर का नामान्तकरण संख्या 2687 का दिनांक 13.12. 2021 से जरिये विरासती नामान्तकरण से प्राप्त भूमि में निहित हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार अराई को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार अराई की पेश रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग रहेगी ।**

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुहर के खुले न्यायालय में सुनाया गया। तद्नुसार डिक्री पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)